

3/- वर्ष 2013 को राज्य शासन द्वारा आई.टी. सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया जाना है, अतः इस विषय की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। निःशक्तजनों तक सूचना प्रौद्योगिकी के संपूर्ण लाभ सुविधाजनक रूप में पहुंचाए जाने के उद्देश्य से निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

समस्त शासकीय वेबसाइट्स को निःशक्तजनों को आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना
(Making all Govt. websites Accessible to the Differently Able People)

1. वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम (W3C) द्वारा निःशक्तजनों की आवश्यकताओं के अनुरूप वेबसाइट्स में आवश्यक प्रावधान किए जाने के संबंध में एक विस्तृत गाईडलाइन - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) तैयार की गई है। समस्त शासकीय निकायों से यह अपेक्षा है कि उनकी वेबसाइट्स WCAG गाईडलाइन के द्वितीय संस्करण (WCAG-2.0) के अनुरूप न्यूनतम लेवल 'A' की स्थिति अनिवार्यतः प्राप्त करें। यह गाईडलाइन <http://w3c.org> पर उपलब्ध है और हिंदी अथवा अंग्रेजी में डाउनलोड की जा सकती है। इस गाईडलाइन में यह स्पष्ट किया गया है कि निःशक्तजनों के लिए वेब- सामग्री को देखने, सुनने पढ़ने और समझने के उद्देश्य से किस प्रकार अधिक से अधिक सुगम और सहज बनाया जा सकता है। सुलभ - संदर्भ के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट (www.socialjustice.nic.in) को विजिट किया जा सकता है जो WCAG-2.0 गाईडलाइन के लेवल 'AA' के अनुरूप विकसित की गई है। सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक शासकीय वेबसाइट का "WCAG - 2.0 लेवल A" के अनुरूप होना अनिवार्य कर दिया गया है।
2. इसी अनुक्रम में कृपया सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के परिपत्र (e-Gov-4) क्र. F-8-3/2012/56 भोपाल दिनांक 22.11.2012 का अवलोकन कीजिएगा जो पूर्व में आपकी ओर प्रेषित किया जा चुका है। इस परिपत्र के साथ "भारत की शासकीय वेबसाइट्स की गाईडलाइन" (Guideline For Indian Govt. Websites - GIGW) भी संलग्न कर प्रेषित की गई थी। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा एनआईसी के सहयोग से जारी की गई इस गाईडलाइन में कंडिका 3.1 एवं कंडिका 7.5 विशेष रूप से अवलोकनीय है। इन कंडिकाओं में शासकीय वेबसाइट्स को निःशक्तजनों की आवश्यकताओं को अनुरूप डिजाइन किए जाने के संबंध में विस्तृत प्रावधान अंकित हैं जो WCAG गाईडलाइन के लेवल A की समस्त अनिवार्यताओं को समाहित करते हैं। अतः विभाग/जिला स्थित कार्यालयों/अधीनस्थ अन्य शासकीय एजेंसियों द्वारा GIGW गाईडलाइन की उक्त कंडिकाओं का अक्षरशः पालन किया जाता है तो WACG गाईडलाइन 2.0 के लेवल A तक के प्रावधानों का पालन स्वतः ही सुनिश्चित हो जाएगा।